

विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

उजमा राइस

असिस्टेन्ट प्रोफेसर,
राजनीति विज्ञान विभाग,
इरम गर्ल्स डिग्री कालेज,
लखनऊ

एम. एम. खान

असिस्टेन्ट प्रोफेसर
राजनीति विज्ञान विभाग
सेण्ट ऐण्ड्रयुज कालेज
गोरखपुर,उ0प्र0

सारांश

संविधान के भाग- 111 में मूल अधिकारों को स्थान दिया गया है। ये अधिकार देश के नागरिकों के विकास के लिए अनिवार्य तो है ही, साथ ही ये उनके सम्मान की रक्षा भी करते हैं।

अनुच्छेद-12 में मूल अधिकार को परिभाषित किया गया है। मूल अधिकार, जिसे भारत का 'अधिकार-पत्र' (मैंग्नाकार्टा) भी कहा जाता है, से तात्पर्य ऐसे अधिकारों से है जो देश में व्यवस्था बनाये रखने और राज्य के कठोर नियमों के विरुद्ध नागरिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। इन्हें संविधान द्वारा सुरक्षा एवं गारण्टी प्रदान की गयी है।

अनुच्छेद-19 से 22 तक नागरिकों के स्वतंत्रता सम्बन्धी अधिकारों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद-19 के तहत सभी नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गयी है।

स्वतंत्रता व्यक्ति के विकास के लिए अनिवार्य है। इसलिए भारतीय संविधान का लक्ष्य विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वाधीनता सुनिश्चित करना है। इस सम्बन्ध में अनुच्छेद-19 सबसे महत्वपूर्ण है।

विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था को संचालित करने के लिए एक अनिवार्य अंग है। लोकतंत्र का अर्थ ही यह है कि सहमति से किया गया शासन और जब तक जनता को राजनीतिक और अन्य विषयों पर चर्चा करने की स्वतंत्रता नहीं होगी, तब तक उस राज्य व्यवस्था को लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता।

किसी सूचना या विचार को बोलकर, लिखकर या किसी अन्य रूप में बिना किसी रोक-टोक के अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (थ्तममकवउ विमाचतमेपवद) कहलाती है। अतः अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की हमेशा कुछ न कुछ सीमा अवश्य होती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद-19(1) के अन्तर्गत सभी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गयी है।

यह स्वतंत्रता अपने भावों और विचारों को व्यक्त करने का एक राजनीतिक अधिकार है। इसके अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति न केवल अपने विचारों का प्रचार और प्रसार कर सकता है, बल्कि वह किसी भी तरह की सूचना का आदान-प्रदान करने का भी अधिकार रखता है। प्रेस भी विचारों की अभिव्यक्ति का एक साधन होने के कारण इस

अनुच्छेद में शामिल किया गया है। न्यायमूर्ति पातंजलि शास्त्री ने रमेश थापर बनाम मद्रास राज्य केस में इस आशय को स्पष्ट किया है—

भाषण और प्रेस की स्वतंत्रता सभी लोकतांत्रिक संगठनों का मूल आधार है क्योंकि मुक्त राजनीतिक विचार-विमर्श के बिना कोई भी सार्वजनिक शिक्षा, जो लोकप्रिय शासन की प्रक्रिया के उचित रूप में चलने के लिए बहुत जरूरी होती है, सम्भव नहीं है।¹

मूल संविधान में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्षेत्र बहुत व्यापक था और अपमान लेख और वचन न्यायालय अपमान, शिष्टाचार या सदाचार पर आधात और राज्य की सुरक्षा के हित में ही इसे सीमित किया जा सकता था। ‘रमेश थापर बनाम मद्रास राज्य’ के विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी व्याख्या में कहा कि, “अपराध के लिए उत्तेजित करने और सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने के कार्यों को उपयुक्त व्यवस्था के अन्तर्गत प्रतिबन्धित नहीं किया जा सकता।”²

अतः संविधान के ‘प्रथम संशोधन’ अधिनियम—1951 द्वारा विचार और अभिव्यक्ति’ की स्वतंत्रता को और सीमित कर दिया गया तथा अब राज्य जिन आधारों पर विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्ति-युक्त प्रतिबंध लगा सकता है, वे इस प्रकार हैं— राज्य की प्रभुता, अखण्डता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के हितों अथवा न्यायालय अवमानना, मानहानि या अपराध-उद्दीपन के सम्बन्ध में।³

सन् 1963 के 16वें संविधान संशोधन के द्वारा स्वतंत्रता पर एक और प्रतिबंध लगा दिया गया। यह प्रतिबंध कि अगर कोई व्यक्ति भारत राज्य से उसके किसी भाग को अलग करवाने का प्रचार करें तो राज्य के द्वारा उसकी विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है।

सन् 1975 के आपातकाल में प्रेस द्वारा संसद और राज्य विधान मण्डलों की कार्यवाहियों के प्रकाशन पर रोक लगा दी गयी थी। परन्तु 44वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में व्यवस्था की गयी कि प्रेस को संसद और विधान मण्डलों की कार्यवाही को प्रकाशित करने की पूर्ण स्वतंत्रता दी गयी है। साथ ही राज्य के द्वारा इस सम्बन्ध में प्रेस पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकेगा।

मुम्बई उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने जून 1988 में एक ऐतिहासिक निर्णय देते हुए कहा है कि, “अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दूरदर्शन पर भी लागू होता है।” न्यायमूर्ति ने अपने निर्णय में कहा कि, “दूरदर्शन पर दिखाये जाने वाले कार्यक्रमों में विशेष तौर पर बातचीत, साक्षात्कार या इसी तरह के कार्यक्रमों में यदि बिना किसी कानूनी आधार के कोई कांट-छांट की जाय तो इस प्रकार की कार्यवाही को अवैध घोषित किया जा सकता है।”⁴

इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक नागरिक अपने विचारों, विश्वासों और दृढ़ निश्चयों को निर्बाध रूप से और बिना किसी रोक-टोक के मौखिक शब्दों द्वारा लेखन, मुद्रण, चित्रण के द्वारा अथवा किसी अन्य ढंग से अभिव्यक्त करने के लिए स्वतंत्र है।

लेकिन अनुच्छेद-19(2) के अन्तर्गत —

1. राज्य की सुरक्षा,
2. विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों

3. लोक व्यवस्था
4. शिष्टाचार और सदाचार
5. न्यायालय की अवमानना
6. मानहानि
7. अपराध के प्रोत्साहन
8. भारत की सम्प्रभुता तथा अखण्डता के हितों में या आधारों पर इस अधिकार के प्रयोग पर युक्ति—युक्ति सीमाएँ या प्रतिबंध आरोपित किये जा सकते हैं।

राज्य की सुरक्षा

राज्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विद्रोह, राज्य के विरुद्ध युद्ध छेड़ना, बगावत, जिससे कि राज्य को खतरा होने की सम्भावना हो रही हो, ऐसी परिस्थिति में साथ ही विचारों की अभिव्यक्ति या ऐसे भाषण, देना, जिससे लोगों की हत्या जैसे अपराध करने के लिए उकसाने या प्रोत्साहन देने वाले हों, अनुच्छेद-19(2) के अन्तर्गत प्रतिबन्ध लगाये जाने के लिए युक्ति—युक्ति आधार होंगे। ऐसे प्रत्येक भाषण को, जिसमें राज्य को नष्ट—ब्रष्ट करने की प्रवृत्ति हो, दण्डनीय बनाया जा सकता है।

भारत की सम्प्रभुता और अखण्डता

16वें संविधान संशोधन 1963 के द्वारा विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर अंकुश लगाने का अधिकार जोड़ा गया, जिससे कोई भी व्यक्ति भारत की सम्प्रभुता और अखण्डता को चुनौती न दे सके।

विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों

इस आधार को संविधान के प्रथम संशोधन 1951 के द्वारा शामिल किया गया था। राज्य द्वारा विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध उस समय लगाया जा सकता है जबकि यह विचार अन्य राज्यों के साथ भारत को मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने में खतरा उत्पन्न करे।

लोक व्यवस्था

यह आधार भी रमेश थापर के मामले (ए0आई0आर0 1950 एस0सी0 124) में उच्चतम न्यायालय के निर्णय से उत्पन्न स्थिति पर काबू पाने के लिए 1951 के संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। उस निर्णय में कहा गया था कि लोक व्यवस्था के साधारण या स्थानीय उल्लंघन भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने के कोई आधार नहीं हैं।⁵

शिष्टाचार तथा सदाचार

इन शब्दों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने के आधारों के रूप में मुख्य रूप से इसलिए शामिल किया गया है ताकि समाज को दूषित और ब्रष्ट कार्यों या व्यवहार से बचाया जा सके। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 292–294 को, जिसके अन्तर्गत अशिष्टाचार या अश्लीलता के विस्तार क्षेत्र का वर्णन किया गया है, यथावत् बनाये रखा गया था, “क्योंकि अश्लीलता के विरुद्ध विधि में केवल लोक शिष्टाचार तथा सदाचार को बढ़ावा देने की चेष्टा की गयी है।” (रंजीत उद्देशी बनाम महाराष्ट्र, ए0आई0आर0 1965 एस0सी0 881)।

न्यायालय की अवमानना

संविधान के अनुच्छेद 129 और 215 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को उनकी अवमानना किए जाने के लिए दण्ड देने का अधिकार देते हैं। उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद-129 के अधीन अवमानना की विधि को अनुच्छेद-19(2) के अधीन उचित ठहराया है। (सी0के0 दफतरी बनाम ओ0पी0 गुप्ता, ए0आई0आर0 1971 एस0सी0 1132)

मानहानि

विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार किसी भी नागरिक को किसी की मानहानि करने का अधिकार नहीं देता है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा-499 में मानहानि को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि किसी व्यक्ति को घृणा, मजाक या तिरस्कार का पात्र बनाकर पेश करना मानहानि है। न्यायालयों ने इस धारा को संवैधानिक दृष्टि से विधिमान्य ठहराया है।

अपराध के प्रोत्साहन

इस आधार को भी संविधान के प्रथम संशोधन 1951 में जोड़ा गया था। उच्चतम न्यायालय का मत है कि हत्या या अन्य हिंसक अपराधों को प्रोत्साहित करने से आम तौर पर राज्य की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। इसलिए इस आधार पर बनाया गया कोई प्रतिबंध अनुच्छेद-19(2) के अधीन विधिमान्य होगा। (बिहार राज्य बनाम शैलबाला देवी, ए0आई0आर0 1952 एस0 सी0 329)

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. सुभाष कश्यप: हमारा संविधान, पृ0 90
2. रमेश थापर बनाम मद्रास राज्य, ए0 आई0 आर0 1950 एस0सी0 124, 128
3. भारत का संविधान, पृ0 8
4. *The Times of India*, 28 June, 1978
5. भारत का संविधान, पृ0 91
6. भारत का संविधान, पृ0 92